

- 1.किसी भी मतदाता द्वारा मतदान केंद्र में मोबाइल, स्मार्ट घड़ी तथा अन्य डिजिटल उपकरण इत्यादि ले जाना निषेध है ।
- 2.मतदाता द्वारा अपना मतदान करने के उपरांत तुरंत प्रभाव से मतदान केंद्र छोड़ना अनिवार्य है ।

चुनाव अधिकारी